



निलामी सूचना 02 / 2025-26
(SPPP UBN NO – PHE2526WSOB15238)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि समय-समय पर नकारा हुए खण्ड के विभागीय सामान की निलामी राजस्थान के राज्यपाल की ओर से दिनांक 30.03.2026 को दोपहर 2.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड फालना के खण्डीय स्टोर में की जायेगी जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. सबमर्सिबल पम्प / मोनो ब्लॉक पम्प / सबमर्सिबल मोनो ब्लॉक पम्पसेट इत्यादि।

इच्छुक खरीददार उपरोक्त वर्णित सामान का निरीक्षण इस भण्डार में किसी भी कार्य दिवस में आकर देख सकते हैं। निलामी बोली में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को 50000/- रुपये धरोहर राशि नकद जमा कराने होंगे तथा निलामी बोली छुटने पर बोली की राशि की चौथाई रकम उसी दिन नकद जमा करानी होगी अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। उच्चतम बोली की स्वीकृति होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर-भीतर शेष राशि तथा टैक्स जमा कराने पर माल सुपुर्द कर दिया जायेगा। अन्यथा उनकी जमा चौथाई राशि जब्त कर ली जायेगी।

राज्य सरकार उच्चतम बोली स्वीकृत करने हेतु प्रतिबंधित अथवा बाध्य नहीं है उच्चतम बोली को बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। निलामी की अन्य शर्तें निलामी प्रारम्भ होने के पूर्व बता दी जायेगी। निलामी संबंधित पूर्ण अधिकार निलामी समिति में निहित है तथा समिति का निर्णय सर्वमान्य व अन्तिम होगा।

निलामी की जाने वाली अनुपयोगी / अप्रचलित घोषित भण्डार सामान जिसका कुल पुस्तक मुल्य लगभग 64.21 लाख (चौसट लाख इक्कीस हजार रुपये मात्र) है।



(महेन्द्र सिंह राठौड़)

अधिशाषी अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड-फालना

निलामी स्थल

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
खण्डीय स्टोर, फालना

' जल ही जीवन है, इसकी बचत कीजिए '